बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक.....

संचिका संख्या–08/आ०5–41/2020...../जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक 636 दिनांक 13.08.2020 द्वारा श्री मोहन चौधरी, तत्कालीन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, सोनभद्र वंशी सुर्यपुर, अरवल–सम्प्रति–सेवानिवृत्त, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, काको, जहानाबाद, कार्यकारी उच्चतर प्रभार, बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) के विरूद्ध पुलिस अवर निरीक्षक–सह–जाँच पदाधिकारी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा वंशी थाना कांड संख्या 31/2020 दिनांक 03.07.2020 दर्ज कराये जाने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी। उक्त के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1012 दिनांक 28.12.2020 एवं पत्रांक 509 दिनांक 29.06.2022 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल से आरोप–पत्र की माँग की गयी।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक 650 दिनांक 10.07.2023 द्वारा श्री मोहन चौधरी के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित किया गया कि श्री चौधरी द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक–सह–जाँच पदाधिकारी, अरवल निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा श्री विजेन्द्र कुमार, पंचायत शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, लोहर बिगहा, माली का नियोजन फोल्डर मांगे जाने पर उक्त फोल्डर को बिना जाँच के ही उपलब्ध कराया गया। तदालोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 422 दिनांक 20.05.2024, पत्रांक 1093 दिनांक 11.12.2024 एवं पत्रांक 1171 दिनांक 31.12.2024 द्वारा श्री चौधरी से लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री चौधरी द्वारा लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया।

श्री चौधरी से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 621 दिनांक 26.06.2025 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत श्री चौधरी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 273 दिनांक 14.10.2025 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1245 दिनांक 27.11.2025 द्वारा श्री चौधरी से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री चौधरी द्वारा लिखित अभ्यावेदन में प्रतिवेदित किया गया कि श्री विजेन्द्र कुमार, पंचायत शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, लोहर बिगहा, माली का नियोजन पंचायत नियोजन ईकाई माली के तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा दिनांक 01.08.2014 को किया गया था। योगदान की तिथि से जुलाई, 2019 के पूर्व तक का वेतनादि का भुगतान तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा किया गया था। आरोपी पदाधिकारी का पदस्थापन दिनांक 31.08.2015 को वंशी प्रखंड में आरोपी शिक्षक के नियोजन के एक वर्ष के पश्चात् हुआ था। तदालोक में नियोजन की प्रक्रिया से लेकर वेतन भुगतान तक में इनकी कोई

भूमिका नहीं है। पंचायत नियोजन का कोई भी दस्तावेज इनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। उक्त शिक्षक के फोल्डर को मात्र इनके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया था। निगरानी विभाग द्वारा फोल्डर जाँच में गड़बड़ी पाये जाने पर तुरंत ही श्री विजेन्द्र कुमार शिक्षक के विरूद्ध वंशी थानां कांड संख्या 39/19 दर्ज कराया गया।

श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री चौधरी से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कैम्प स्थल पर नियोजन ईकाई से प्राप्त नियोजित शिक्षकों का फोल्डर जाँच कर प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए उपलब्ध कराया जाना था। परंतु श्री चौधरी द्वारा पंचायत नियोजन इकाई, माली के सचिव से प्राप्त श्री विजेन्द्र कुमार, शिक्षक के फोल्डर को बिना सूक्ष्म जाँच किए ही प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए जिला कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया, जिसके कारण श्री विजेन्द्र कुमार, पंचायत शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, लोहरबिगहा के फोल्डर के आवेदन पत्र में 2014 के स्थान पर 2006 का प्राप्त स्व–अभिप्रमाणित आवेदन पत्र की जाँच नहीं हो सकी और उच्च स्तरीय पदाधिकारी को गलत फोल्डर प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी ने श्री चौधरी के द्वारा किये गये इस कृत्य को गंभीर चूक की श्रेणी में माना है। जो इनके कार्य के प्रति लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता को दर्शाता है।

अतः समीक्षोपरान्त श्री मोहन चौधरी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सोनभद्र वंशी, सूर्यपुर, अरवल–सम्प्रति–सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, काको, जहानाबाद को बिहार पेंशन नियमावली 43 (बी) के तहत "5 प्रतिशत पेंशन कटौती का दंड एक वर्ष के लिए" अधिरोपित किया जाता है।

इसके साथ ही मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–

(विक्रम विरकर)

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांकः–08/आ०–05–41/2020...200... पटना, दिनांक 10.02.2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, प्रशासन, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, पेंशन शाखा (प्रशाखा–17), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक–सह–संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद/जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल–सह–उपस्थापन पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), अरवल/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/श्री मोहन चौधरी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सोनभद्र वंशी, सूर्यपुर, अरवल–सम्प्रति–सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, काको, जहानाबाद, पत्राचार का पता–ग्राम–न्यूमणिचक, पोस्ट+थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना–804452, मो०नं०–8541026448 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई–मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)